सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, रामनिवास जाट, आर.ए.एस.

अपील संख्याः 23/17

निर्णय दिनांकः– 07–08–2019

1. मु. जमना देवी बेवा मोडाराम
2. गुमानाराम पुत्र मोडाराम
3. रजूराम पुत्र मोडाराम
4. हनुमान पुत्र मोडाराम

जाति नायक निवासी चाण्डासर
तहसील कोलायत जिला बीकानेर।

–अपीलांटस

–बनाम–

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कोलायत।

–रेस्पोडेन्ट्

अपील विरुद्व निर्णय दिनांक 02–06–2017
उपखण्ड अधिकारी, कोलायत

उपस्थितः

1. श्री रामदेव गहलोत, अभिभाषक अपीलांट्स
2. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर
सत्यमेव जयते

–निर्णय–

1. अपीलांट ने उक्त अपील उपखण्ड अधिकारी, कोलायत के निर्णय दिनांक 02–07–2017 के विरुद्व पेश की, जिसके द्वारा वादी/अपीलांट का वाद रिकार्ड व कानून के विपरीत जाकर खारिज फरमा दिया गया, के विरुद्व इस न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 223 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट्स के पति/पिता का तहसील कोलायत के ग्राम चाण्डासर के खसरा नम्बर पुराना 12 तादादी 16 बीघा 10 बिस्वा जिसके नये खसरा नम्बर 12 तादादी 4.17 हेक्टर मौजा रोही शरह गुजरायतन कोलायत पर सवंत् 2012 से पूर्व कब्जा काश्त चला आ रहा है तथा अपीलांट्स के

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

पति/पिता के स्वर्गवास के उपरान्त अपीलांट्स का वादग्रस्त भूमि पर आज दिनांक तक निरन्तर कब्जा काश्त चला आ रहा है। ऐसी स्थिति में अपीलांट्स बाई ऑपरेशन ऑफ ला खातेदार काश्तकार हो चुके है। अपीलांट्स द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दावा अन्तर्गत धारा 188, 88 आरटीए के तहत प्रस्तुत किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट्स का प्रार्थना पत्र सरसरी तौर पर बिना तनकी बनाये, साक्ष्य व सबूत का अवसर प्रदान किये मात्र सरसरी तौर पर आदेश जैर अपील पारित किया गया है। जिससे व्यथित होकर अपीलांट द्वारा उक्त न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

3. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अपनी बहस में बताया कि अपीलांट्स के पति/पिता का तहसील कोलायत के ग्राम चाण्डासर के खसरा नम्बर पुराना 12 तादादी 16 बीघा 10 बिस्वा जिसके नये, खसरा नम्बर 12 तादादी 4.17 हेक्टर मौजा रोही शरह गुजरायतन कोलायत पर सवंत् 2012 से पूर्व कब्जा काश्त चला आ रहा है तथा अपीलांट्स के पति/पिता के स्वर्गवास के उपरान्त अपीलांट्स का वादग्रस्त भूमि पर आज दिनांक तक निरन्तर कब्जा काश्त चला आ रहा है। अपीलांट्स द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 स्टेट के विरूद्व वाद धारा 188, 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इस आश्य का प्रस्तुत किया गया कि विवादित भूमि सवंत् 2012 से पूर्व अपीलांट्स के कब्जे काश्त की भूमि है, जिसके आधार पर राजस्व रिकार्ड में खातेदारी दर्ज करवाने हेतु प्रस्तुत किया गया। अपीलांट द्वारा अपने कथन के समर्थन में तमाम वांछित दस्तावेज भी प्रस्तुत किये गये थे। फिर भी अदालत मातहत द्वारा कानून एवं रिकार्ड के विपरीत जाकर उक्त निर्णय व डिक्री पारित किया गया है जिसे निरस्त फरमाया जाकर दावा डिक्री किया जावे।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में आगे बताया कि अपीलांट द्वार अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त भूमि पर कब्जे काश्त के संबंध में तमाम सबूत प्रस्तुत किये गये थे इससे प्रथम दृष्टया साबित होता है कि वादग्रस्त भूमि अपीलांट के कब्जे काश्त व धारण की

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

भूमि है। उक्त स्थिति अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दस्तावेजी साक्ष्य से साबित होते हुए भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मात्र सरसरी तौर धोषणात्मक वाद का निर्णय कर दिया गया। जिसका कतई अधिकार अदालत मातहत को प्राप्त नहीं था। अपीलांट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष दावा जिस पर स्टेट द्वारा जवाब दावा पेश किया गया। जिस पर नियमानुसार तनकीयात् कायम करते हुए अपीलांट व स्टेट द्वारा प्रस्तुत जवाब दावे के आधार पर दस्तावेजी साक्ष्य व मौखिक साक्ष्य के आधार पर निर्णय पारित किया जाना चाहिए था। अदालत मातहत द्वारा इस महत्वपूर्ण तथ्य को नजरअंदाज करने में कानूनी भूल कारित करते हुए कानून व रिकार्ड के विपरीत जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित किया गया है। अतः अपीलाधीन निर्णय निरस्त फरमाते हुए अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जावे।

5. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने बहस करते हुए बताया कि अपीलांट द्वारा जिस वादगत् के खातेदारी अधिकारों की धोषणा चाही गई है उक्त भूमि वर्तमान में राजस्व रिकार्ड में आराजीराज दर्ज है। वादगत् भूमि पर अपीलांट का कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा है। तमाम राजस्व अभिलेखों से वादी/अपीलांट का वादगत् भूमि पर कब्जा काश्त साबित नहीं होता है। अपीलांट/वादी द्वारा वादपत्र के माध्यम से राज्य सरकार की बेशकिमती भूमि पर खातेदारी अधिकारों की धोषणा चाही गई है। जिसका अपीलांट कतई अधिकारी नहीं है। अदालत मातहत द्वारा तमाम दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर आदेश जैर अपील पारित किया गया है। जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। ऐसी स्थिति में अपीलांट अब इस अपील के माध्यम से कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जाकर आदेश जैर अपील यथावत बहाल रखा जावे।

6. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

7. प्रस्तुत प्रकरण में वादी/अपीलांट ने उसे सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किये गये आवंटन आदेश के आधार पर राजस्व रिकार्ड में गैर खातेदार की धोषणा तथा स्थाई निषेधाज्ञा के अनुतोष के आधार पर वाद

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

पेश किया। राज्य सरकार की और से तहसीलदार, कोलायत ने जवाब पेश किया। परीक्षण न्यायालय ने प्रकरण में दोनों पक्षों की बहस सुनने का उल्लेख करते हुए सरकारी भूमि पर एक अतिक्रमी की हैसियत से खातेदारी प्राप्त करने के आधार पर वाद खारिज कर दिया गया।

सरकारी भूमि पर अतिक्रमण एवं विपरीत कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकारों की धोषणा करने का कोई विधिक प्रावधान नहीं हैं राजस्व मण्डल की वृहद पीठ ने समय–समय पर विपरीत कब्जे की अवधारणा को खारिज किया है। परीक्षण न्यायालय ने वाद को विधिक प्रावधानो से असंगत मानकर खारिज करने में कोई भूल नहीं की है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 209 में न्यायालय को व्यापक अधिकार है कि वादपत्र में उल्लेख किये बिना भी न्यायालय के विवेक से अतिरिक्त अनुतोष दे सकता है। वादी/अपीलांट के पक्ष में पुराने कब्जे काश्त का नियमन करने का भी उपनिवेशन (इगानप आवंटन नियम) 1975 के नियम 21 में विशेष प्रावधान है। अपीलांट उपनिवेशन नियमों के तहत आवंटन पत्र के आधार पर कब्जे का नियमन करवाने की पात्रता रखता है।

8. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट की अपील सारहीन होने पर खारिज की जाती है। अपीलांट मु. जमना द्वारा अपने कब्जे काश्त के आधार पर उपखण्ड स्तरीय आवंटन एवं सलाहकार समिति के समक्ष नियमन हेतु प्रार्थना पत्र पेश करने पर अपीलांट की पात्रता की जॉच करते हुए नियमन हेतु विधि सम्मत कार्यवाही करें।

9. निर्णय आज दिनांक 07–08–2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामनिवास जाट)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर